प्रेस विज्ञप्ति

27.10.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर आंचलिक कार्यालय ने फरवरी 2025 में अमेरिका से निर्वासित किए गए भारतीय नागरिकों से संबंधित 'डंकी रूट मामले' में दिल्ली निवासी टिकटिंग एजेंट तरुण खोसला को दिनांक 23.10.2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने उसे दिनांक 30.10.2026 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

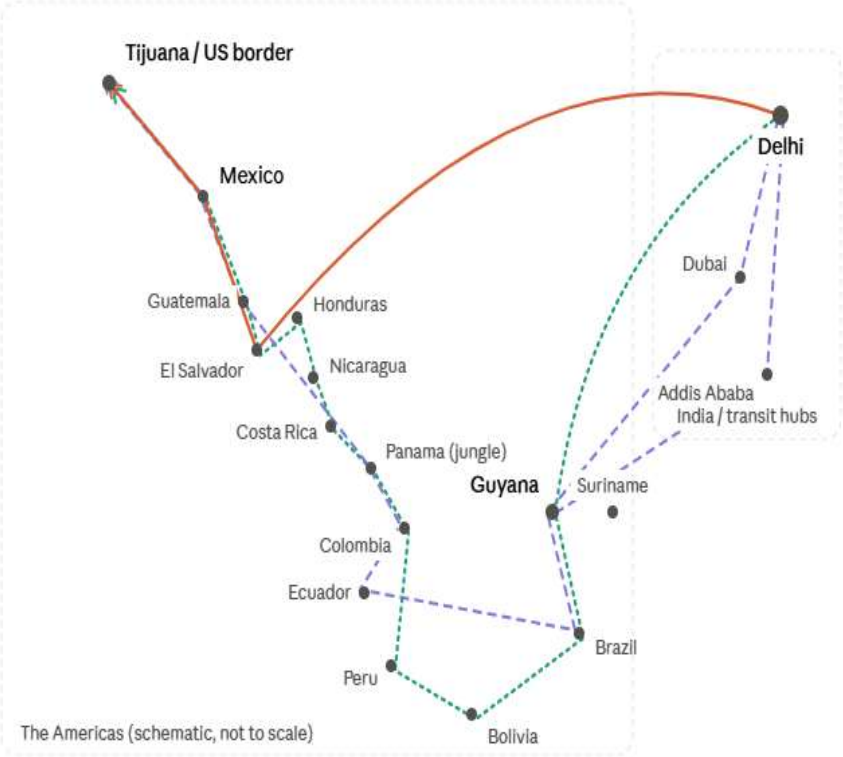
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस की ओर से भारतीय न्याय संहिता, 2023 (पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता, 1860) की विभिन्न धाराओं तथा उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के तहत दर्ज की गई विभिन्न प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की गई। यह कार्रवाई फरवरी 2025 में 300 से अधिक भारतीय नागरिकों को मैक्सिको सीमा के रास्ते अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने के कारण वहां से निर्वासित किए जाने के बाद की गई।

प्रवर्तन निदेशालय की जांच में पता चला है कि अमेरिका जाने के इच्छुक व्यक्तियों को एजेंटों और बिचौलियों द्वारा कानूनी माध्यमों से अमेरिका भेजने का झूठा आश्वासन देकर अपने जाल में फंसाया जाता था। इसके बजाय, उन्हें 'डंकी रूट' के माध्यम से भेजा जाता था। इस मार्ग में स्थानीय डंकरों और माफिया की सहायता से दक्षिण एवं मध्य अमेरिका के कई देशों की सीमाओं को खतरनाक रास्तों से अवैध रूप से पार कराया जाता था। ऐसे व्यक्तियों से लगभग ₹30 लाख से ₹60 लाख तक वसूले जाते थे। इससे पहले, इस मामले में दिनांक 09.07.2025 और 11.07.2025 को 19 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया था। इस दौरान अपराध-संकेती दस्तावेज, अभिलेख, डिजिटल उपकरण तथा अन्य सामग्री बरामद की गई थी। इनमें निकारागुआ और इथियोपिया से संबंधित फर्जी आव्रजन मुहरें एवं फर्जी वीजा मुहरें भी शामिल थीं। इसके अतिरिक्त, दिनांक 15.12.2025 को प्रवर्तन निदेशालय ने लगभग ₹5.41 करोड़ मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया था। इनमें कृषि भूमि, आवासीय परिसर,

व्यावसायिक परिसर तथा बैंक खातों में जमा धनराशि शामिल थी। ये संपत्तियां अमेरिका में व्यक्तियों को अवैध रूप से भेजने में शामिल विभिन्न एजेंटों द्वारा अर्जित अपराध की आगम से प्राप्त की गई थीं अथवा उसके समतुल्य थीं।

इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने दिनांक 18.12.2025 और 19.12.2025 को पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान तरुण खोसला के परिसरों से ₹4.62 करोड़ की नकदी, लगभग 5.9 किलोग्राम वजन की सोने की छड़ें एवं सिक्के तथा लगभग 313 किलोग्राम वजन की चांदी की छड़ें जब्त की गईं। इनकी कुल कीमत ₹19.14 करोड़ थी। इसके अतिरिक्त, अपराध-संकेती दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए। अन्य परिसरों से 50 से अधिक तीसरे पक्ष के मूल पासपोर्ट, डायरियां, लेन-देन के अभिलेख, संपत्ति संबंधी दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी बरामद किए गए।

जांच में पता चला है कि तरुण खोसला 'डंकी रूट' नेटवर्क का एक प्रमुख सहयोगी था। वह पंजाब और हरियाणा के कई एजेंटों के साथ मिलकर काम करता था। ये एजेंट अमेरिका जाने के इच्छुक व्यक्तियों से उनके पासपोर्ट और धनराशि एकत्र करके दिल्ली में उसे सौंपते थे। इसके बाद वह दक्षिण अमेरिका के विभिन्न देशों, जैसे गुयाना, सूरीनाम, इक्वाडोर और अल सल्वाडोर आदि के लिए वीजा एवं हवाई टिकटों की व्यवस्था करता था। साथ ही, इन व्यक्तियों को अवैध एवं खतरनाक मार्गों से अमेरिकी सीमा तक पहुंचाने की व्यवस्था भी करता था। 'डंकी रूट' से यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मार्ग और शुल्क निर्धारित करने में उसकी प्रमुख भूमिका थी। अमेरिका में अवैध प्रवेश के लिए अपनाए गए उक्त मार्ग नीचे दर्शाए गए हैं:



Route A: air to El Salvador, road to Mexico, then to Tijuana and into USA. About Rs 35-40 lakh per person.

Route B: via Dubai or Addis Ababa to Guyana, then road through Brazil, Ecuador, Colombia, Panama jungle, Guatemala, Mexico, Tijuana. About Rs 25-30 lakh per person.

Route C (journey described by a deportee): Guyana, Brazil, Bolivia, Peru, Colombia, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Mexico, US border.

जब्त किए गए मोबाइल फोन से प्राप्त डेटा में उसकी अपराध-संकेती बातचीत सामने आई है, जिससे पता चलता है कि वह आव्रजन संबंधी मंजूरी दिलाने के लिए अनुचित तरीके से व्यवस्था करने वाले एजेंट के रूप में कार्य करता था। एक विदेशी संपर्क के साथ उसकी बातचीत से विदेशी हवाई अड्डों पर जमीनी स्तर पर समन्वय किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। इनमें आव्रजन मंजूरी के लिए धनराशि एकत्र करना, टिकटों की व्यवस्था करना, यात्रियों को संभालना तथा अमेरिकी डॉलर में भुगतान करना शामिल था। 'ओके टू बोर्ड' अनुमोदन प्राप्त करने तथा विमानन कंपनियों एवं आव्रजन अधिकारियों के साथ समन्वय संबंधी निर्देशों से पारगमन यात्रा की व्यवस्थाओं पर उसका परिचालन नियंत्रण भी स्थापित हुआ।

जांच में आगे पता चला कि तरुण खोसला उक्त अवैध 'डंकी रूट' कारोबार का एक प्रमुख संचालक था। वह दक्षिण अमेरिकी देशों के लिए वीजा मंजूरी, फर्जी अथवा जाली पीत ज्वर टीकाकरण प्रमाणपत्रों की व्यवस्था, टिकट बुकिंग तथा

डंकरों के प्रबंधन जैसे कार्यों के माध्यम से अवैध डंकी मार्ग से व्यक्तियों को अमेरिका भेजने की व्यवस्था करता था।

उसकी मैक्सिको में “माइक”, ब्राजील में “अली” तथा मैक्सिको में एक अन्य संपर्क “क्रिस्टी” जैसे विदेशी डंकरों के साथ भी बातचीत मिली है। ये संपर्क डंकी रूट के माध्यम से व्यक्तियों को सीमा पार कराने तथा इससे संबंधित भुगतानों का प्रबंधन करते थे। वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान उसकी एकल स्वामित्व वाली फर्म मेसर्स बी.जे. इंटरनेशनल के बैंक खाते में 414 नकद जमा लेन-देन के माध्यम से कुल ₹30.38 करोड़ जमा किए जाने का पता चला है।

अब तक की जांच से पता चला है कि यह एक सुव्यवस्थित नेटवर्क था, जो आम लोगों को झूठे आश्वासनों से अपने जाल में फंसाकर उनकी अवैध विदेश यात्रा की संपूर्ण व्यवस्था एवं समन्वय करता था और उनसे भारी कमीशन अर्जित करता था। यह नेटवर्क पिछले कई वर्षों से सक्रिय था।

आगे की जांच जारी है।